मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय

क्रमांक सी 6–3–2014–3–एक भोपाल, दिनांक 20 मई, 2014.

प्रति,

शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
समस्त संभागायुक्त
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त कलेक्टर
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत
मध्यप्रदेश

विषयः– **डाईज–नान के सम्बन्ध में मार्गदर्शन।**
संदर्भः– सामान्य प्रशासन विभाग का ज्ञापन क सी–6–3–2000–3–एक, दि 02.02.2000 तथा क सी–6–6–2000–3–एक, दिनांक 16.08.2000

सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी संदर्भित परिपत्रों द्वारा लम्बे समय से अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने वाले शासकीय सेवकों के विरूद्व अनुशासनात्मक कार्यवाही करने तथा अन्य कार्यवाहियों के अलावा ऐसी अनधिकृत अनुपस्थिति की अवधि को मध्यप्रदेश सिविल सेवा पैंशन नियम, 1976 के नियम 27, सहपठित मूलभूत नियम 17–ए के अधीन सभी उद्देश्यों के लिए अकार्य दिवस (डाइज–नान) अवधि मानने के निर्देश जारी किये गये हैं।

2– उक्त ज्ञाप दिनांक 02.02.2000 की कण्डिका–3 की अन्तिम पंक्तियों में निम्नानुसार लेख किया गया है:–

"उनकी सेवा में इस व्यवधान का अर्थ यह होगा कि समस्त प्रयोजन, जिनमें पैंशन सम्बन्धी लाभ भी सम्मिलित है, के लिए उनकी तब तक की सेवा का हरण हो जाएगा।"

उक्त प्रावधान से कतिपय नियोक्ता इस विन्दु पर अभिमत चाहते हैं कि अकार्य दिवस (डाइज–नान) अवधि के पूर्व की पूरी सेवा का हरण हो जाएगा या केवल डाइज–नान की गयी अवधि का ही हरण होगा ?

3– मूलभूत नियम 17–ए के प्रावधान निम्नानुसार है:–

"F.R. 17-A. without prejudice to the provision of rule 27 of the M.P. Civil Services. (Pension) Rule, 1976, a period of an un-authorised absence-

..... x .....x .....x .....

(iii) in the case of an individual employee, remaining absent un-authorisedly or deserting the post,

shall be deemed to cause an interruption or break in the service of the employee, unless otherwise decided by the competent authority for the purpose of leave travel concession, quasi-permanancy and eligibiltity for appearing in department examinations, for which a minimum period of continuous service is required."

4– अतः यहां स्पष्ट किया जाता है कि "**तब तक की सेवा**" से आशय "**अनधिकृत अनुपस्थित अवधि की सेवा**" से है। अतएव उक्त पंक्तियों के स्थान पर निम्नानुसार पंक्तियां पढी जावें :–

"उनकी सेवा में इस व्यवधान का अर्थ यह होगा कि समस्त प्रयोजन, जिनमें पैंशन सम्बन्धी लाभ भी सम्मिलित है, के लिए उनकी *उक्त अनधिकृत अनुपस्थित अवधि* की सेवा का हरण हो जाएगा।"

(आर. के. गजभिये)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

पृ. क्रमांक सी 6–3–2014–3–एक **भोपाल, दिनांक 20 मई, 2014.**

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख सचिव, महामहिम राज्यपाल, राजभवन, मध्यप्रदेश, भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय भोपाल।
3. माननीय मंत्री/राज्यमंत्री के निज सचिव/निज सहायक, मध्यप्रदेश भोपाल।
4. प्रमुख सचिव (समन्वय), मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल।
5. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल/अध्यक्ष माध्यमिक शिक्षा मण्डल, भोपाल।
6. महानिदेशक, प्रशासन अकादमी, मध्यप्रदेश, भोपाल।
7. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश बिधानसभा सचिवालय, भोपाल।
8. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर।
9. सचिव, लोकायुक्त, मध्यप्रदेश भोपाल।
10. सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इंदौर।
11. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी/सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, म.प्र. भोपाल।
12. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश जबलपुर/इन्दौर/ग्वालियर।
13. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर/भोपाल।
14. प्रमुख सचिव/सचिव/उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग।
15. आयुक्त, जनसंपर्क, मध्यप्रदेश, भोपाल।
16. अवर सचिव, म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग अधीक्षण/ अभिलेख/पुस्तकालय।
17. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ, मध्यप्रदेश।
18. वेबसाईट अपलोडिंग प्रभारी, सा.प्र.वि. मंत्रालय भोपाल।

(आर.के. गजभिये)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग